

संस्थान,**प्रविष्टि, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश (सबसे)**

संस्था- प्राविष्टिपरिषद सम्बद्धता 2021/0537

अवकाश दिनांक: 09/08/2021

-समावेश्यता:-

अभिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्शी कन्सल्टिंग और इंग्रिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविष्टि शिक्षा परिषद, 30/00 सखनऊ से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदनित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रेषित से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविष्टि शिक्षा परिषद, 30/00 सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4046-B.S.R.COLLEGE OF PHARMACY VILL-KHORRAMPUR,POST-BELAUN, AZAMGARH-270302

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविष्टि शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविष्टि शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेन वसूली हेतु पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 30/150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परामर्शी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सत्र-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सखनऊ-सखनऊ पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनदेश प्रकाशित होंगे, और सदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30/00 प्राविष्टि शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष के रिजल्ट रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविष्टि शिक्षा, 30/00, सदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/00 तथा प्राविष्टि शिक्षा परिषद, 30/00 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन परामर्शी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविष्टि शिक्षा परिषद, सदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविष्टि शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविष्टि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टावर

- किया जाता है तथा बाहर बाढ़ के संबंध में स. अ.प.स. द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंधी आदेश मिलते किये जाते हैं तो समस्त परिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विद्यमान इन परामर्शी पाठ्यक्रम संघमित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सदन द्वारा इत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बटार, साज-सज्जा, उपकरण, प्राल किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
 - ✓ संस्था को विशाल-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साहाय्य उपलब्ध करने के साथ हीमि रोबने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघमित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निदेशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अडान, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमोदना की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थायी निदेशक टॉयान यदि संस्था में भूमि, अडान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईओपीसीआईओ/पीसीआईओ/परिषद के अज्ञात/अज्ञात उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचलानुसार अनुपालनकारक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

पृष्ठ सं. परिषद/परिषद सम्बद्धता/2021/3630-4000

दिनांक: 09/06/2021

परिषदिय-

पता:पारवे/निदेशक, B.S.R.COLLEGE OF PHARMACY VILL-KHORRAMPUR, POST-BELAUN, AZAMGARH-276202

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव